



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-10082026-275338
CG-OR-E-10082026-275338

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4239]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 8, 2026/श्रावण 17, 1948

No. 4239]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 8, 2026/SHRAVAN 17, 1948

रेल मंत्रालय
[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]
अधिसूचना

भुवनेश्वर, 8 अगस्त, 2026

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20ई के तहत सूचना

का.आ. 4417(अ).— रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11) की धारा-20 एफ (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई तालिका की मद सं. (2) में उल्लिखित अधिकारी को मध्यस्थ के रूप में ओडिशा राज्य में नीचे दी गई तालिका की मद सं. (3) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के क्षेत्र के संबंध में, इस प्रकार के कार्यों हेतु, प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करती है, जो, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

क्रम संख्या	मध्यस्थ	विशेष रेलवे परियोजना का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1	कलेक्टर एवं जिला अधिकारी, जाजपुर	पत्र क्रमांक : आरडीएम/एलएए/विविध-0013-2026-26363/आर एंड डीएम सराजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, दिनांक 22 जून 2026 ओडिशा सरकार के अनुसार पूर्व तट रेलवे के खुर्दा रोड मंडल के अंतर्गत बाघुआपाल फ्लाईओवर

		लाइन (18.73 किमी) के लिए मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति।
2	कलेक्टर एवं जिला अधिकारी, जाजपुर	पत्र क्रमांक : आरडीएम/एलएए/विविध-0013-2026-26363/आर एंड डीएम सराजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, दिनांक 22 जून 2026 ओडिशा सरकार के अनुसार पूर्व तट रेलवे के खुर्दा रोड मंडल के अंतर्गत हरिदासपुर फ्लाईओवर लाइन (4.73 किमी) के लिए मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति।
3	कलेक्टर एवं जिला अधिकारी, जगतसिंहपुर	पत्र क्रमांक : आरडीएम/एलएए/विविध-0013-2026-26363/आर एंड डीएम सराजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, दिनांक 22 जून 2026 ओडिशा सरकार के अनुसार पूर्व तट रेलवे के खुर्दा रोड मंडल के अंतर्गत सिजू-पारादीप कोचिंग यार्ड के बीच स्थित फ्लाईओवर (7 किमी) के लिए मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति।
4	कलेक्टर एवं जिला अधिकारी, केओझर	पत्र क्रमांक : आरडीएम/एलएए/विविध-0013-2026-26363/आर एंड डीएम सराजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, दिनांक 22 जून 2026 ओडिशा सरकार के अनुसार पूर्व तट रेलवे के खुर्दा रोड मंडल के अंतर्गत गंधमार्दन आयरन ओर माइन्स – गोआलडीह स्टेशन के बीच न्यू लाइन (13.6 किमी) के लिए मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति।
5	कलेक्टर एवं जिला अधिकारी, केओझर	पत्र क्रमांक : आरडीएम/एलएए/विविध-0013-2026-26363/आर एंड डीएम सराजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, दिनांक 22 जून 2026 ओडिशा सरकार के अनुसार पूर्व तट रेलवे के खुर्दा रोड मंडल के अंतर्गत नयागढ़-डुबुना के बीच न्यू लाइनके (5.14 किमी) के लिए मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति।
6	कलेक्टर एवं जिला अधिकारी, भद्रक	पत्र क्रमांक : आरडीएम/एलएए/विविध-0013-2026-26363/आर एंड डीएम सराजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, दिनांक 22 जून 2026 ओडिशा सरकार के अनुसार पूर्व तट रेलवे के खुर्दा रोड मंडल के अंतर्गत रानीताल लिंक जंक्शन केबिन से भद्रक स्टेशन के बीच चौथी लाइन (3.87 किमी) के लिए मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति।
7	कलेक्टर एवं जिला अधिकारी, कटक	पत्र क्रमांक : आरडीएम/एलएए/विविध-0013-2026-26363/आर एंड डीएम सराजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, दिनांक 22 जून 2026 ओडिशा सरकार के अनुसार पूर्व तट रेलवे के खुर्दा रोड मंडल के अंतर्गत कटक-निर्गुंडी चौथी लाइन, निर्गुंडी में फ्लाईओवर सहित (15.99 किमी) के लिए मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति।
8	कलेक्टर एवं जिला अधिकारी, जाजपुर, जगतसिंहपुर, केंद्रपड़ा	पत्र क्रमांक : आरडीएम/एलएए/विविध-0013-2026-26363/आर एंड डीएम सराजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, दिनांक 22 जून 2026 ओडिशा सरकार के अनुसार पूर्व तट रेलवे के खुर्दा रोड मंडल के अंतर्गत (74.08 किमी) के लिए मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति।

[फा. सं. सीई/कॉन/IIII/बीबीएस/एसआरपी/आर्बिट्रेटर]

महेंद्र पित्ताला, मुख्य अभियन्ता, (निर्माण-IIII)

MINISTRY OF RAILWAYS
[EAST COAST RAILWAY (CONSTRUCTION)]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 8th August, 2026

NOTICE UNDER SECTION 20E OF THE RAILWAY ACT, 1989

S.O. 4417(E).— In exercise of the powers, conferred by Section-20F(6) of The Railways (Amendment) Act, 2008(11 of 2008) the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (2) of the Table below as the Arbitrator to perform the function of such authority under said Act in respect of area of the Special Railway Project mentioned in column (3) of the Table below in the state of **Odisha** with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Sl No.	Arbitrator	Name of the Special Railway Project
(1)	(2)	(3)
1	Collector & DM ,Jajpur	As per Govt. of Odisha, R& DM Department 's letter No.RDM/-LAA-MISC-0013-2026-26363/R&DM,Dtd.22.06.2026. Appointment of Arbitrator for Flyover at Baghuapal (18.73 Km) under Khurda Road division of East Coast Railway.
2	Collector & DM ,Jajpur	As per Govt. of Odisha, R& DM Department 's letter No.RDM/-LAA-MISC-0013-2026-26363/R&DM,Dtd.22.06.2026. Appointment of Arbitrator for Flyover at Haridaspur (5.14 Km) under Khurda Road division of East Coast Railway
3	Collector & DM, Jagatsinghpur	As per Govt. of Odisha, R& DM Department 's letter No.RDM/-LAA-MISC-0013-2026-26363/R&DM,Dtd.22.06.2026. Appointment of Arbitrator for Flyover between Siju-Paradeep Coaching Yard (7 Km) under Khurda Road division of East Coast Railway
4	Collector & DM, Keonjhar	As per Govt. of Odisha, R& DM Department 's letter No.RDM/-LAA-MISC-0013-2026-26363/R&DM,Dtd.22.06.2026. Appointment of Arbitrator for New line between Gandhamardan Iron Ore Mines - Goadihi Station (13.60 Km) under Khurda Road division of East Coast Railway
5	Collector & DM, Keonjhar	As per Govt. of Odisha, R& DM Department 's letter No.RDM/-LAA-MISC-0013-2026-26363/R&DM,Dtd.22.06.2026. Appointment of Arbitrator for New line between Nayagarh and Dubuna(5.14 Km) under Khurda Road division of East Coast Railway
6	Collector & DM, Bhadrak	As per Govt. of Odisha, R& DM Department 's letter No.RDM/-LAA-MISC-0013-2026-26363/R&DM,Dtd.22.06.2026. Appointment of Arbitrator for 4th Line between Ranital Link Jn Cabin to Bhadrak Station (3.87 Km) under Khurda Road division of East Coast Railway
7	Collector & DM, Cuttack	As per Govt. of Odisha, R& DM Department 's letter No.RDM/-LAA-MISC-0013-2026-26363/R&DM,Dtd.22.06.2026. Appointment of Arbitrator for Cuttack- Nergundi 4th Line along with Flyover at Nergundi (15.99 Km) under Khurda Road division of East Coast Railway

8	Collector & DM, Jajpur / Jagatsinghpur / Kendrapara	As per Govt. of Odisha, R& DM Department 's letter No.RDM/-LAA-MISC-0013-2026- 26363/R&DM,Dtd.22.06.2026. Appointment of Arbitrator for Doubling between Haridaspur & Paradeep Section (74.08 Km) under Khurda Road division of East Coast Railway
---	--	--

[F. No. CE/CON/III/BBS/SRP/Arbitrator]

MAHENDER PITALLA, Chief Engineer (Construction-III)